

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-354 / सेक-2-पांच-17-7(77)/2017  
लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप


डा0 दीपा अग्रवाल (वरिष्ठता क्रमांक-7592), वरिष्ठ परामर्शदाता, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.16 में किये गये अनुरोध एवं तत्सम्बंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1फ/221-म-79/2700, दिनांक 13.05.16 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(ख) एवं (ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 दीपा अग्रवाल को उक्त आदेश संसूचित होने की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

आलोक कुमार  
सचिव।

संख्या-354 (1)/सेक-2-पांच-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी (द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ)।
- 9- चार्ज बुक।

आज्ञा से,  
  
(जे0एल0 यादव)  
अनुसचिव।